भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार समर्थित नई सेवाओं (आँख की पुतलियों द्वारा सत्यापन, वन टाइम पिन द्वारा सत्यापन एवं इ–के वाइ सी) एवं स्थायी पंजीकरण केन्द्रों का शुभारम्भ

प्रमुख बिन्दु

क) आँखों की पुतलियों द्वारा सत्यापन सेवा : निवासी आधार संख्यांक + पुतलियों की छवि को प्रदान करते हुए आधार समर्थित सेवाएं पाने हेतु अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।

ख) वन टाइम पिन (ओ टी पी) के प्रयोग द्वारा सत्यापन सेवा : निवासी अपने आधार संख्यांक + वन टाइम पिन (जो पंजीकृत मोबाइल संख्या पर भेजी जायेगी) को प्रस्तुत करते हुए आधार समर्थित सेवाएं पाने हेतु अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।

ग) इ–के वाइ सी सेवा : निवासी की पहचान एव पते का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन उनके अनुरोध और/या उनकी सहमति से होगा– जो कागज रहित, सुरक्षित एवं किफायती है।

घ) आधार केन्द्र (स्थायी पंजीकरण केन्द्र) : जो निवासी पूर्व में पंजीयकों द्वारा आयोजित शिविरों के दौरान पंजीकरण नही करवा पाए वो स्थायी पंजीकरण केन्द्रों में जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। ये केन्द्र आधार डेटा अपडेट केन्द्र के रूप में भी कार्य करेंगे, जहाँ आधार संबंधित जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक डेटा अपडेट किया जा सकेगा।

नई दिल्ली, 24 मई : भारत के प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट पहचान और उसकी कहीं भी, कभी भी सत्यापन हेतु अंकीय आधार उपलब्ध कराने की अपनी संकल्पना को साकार करने की दिशा में और एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आज आधार समर्थित तीन नवीन सेवाओं का शुभारम्भ किया एवं स्थायी पंजीकरण केन्द्रों (आधार केन्द्र) के पहले समूह की स्थापना की घोषणा की।

आज शुरू की गई तीन सेवाओं में **आँखों की पुतलियों द्वारा सत्यापन, वन टाइम पिन द्वारा सत्यापन और इ–के वाइ सी** सेवा शामिल है।

सेवाओं का शुभारम्भ करते हुए योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मन्टेक सिंह आहलुवालिया ने कहा "आधार सत्यापन एवं इ–के वाइ सी सेवाओं से आधार पहचान मंच को निवासियों की पहचान सत्यापित करने में और बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से अभूतपूर्व बदलाव आयेगा एवं आम आदमी आधार परियोजना से निकट भविष्य में और भी लाभ उठाने में सक्षम होगा।"

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) की सत्यापन और इ–के वाइ सी सेवाओं से निवासियों को आधार से जुड़ी सेवाओं से लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उपभोक्ता की पहचान को सत्यापित करने में सरकारी/गैर–सरकारी संस्थाओं को एक किफायती, सुरक्षित और लोचदार प्रणाली मिलेगी।

भविष्य में इन सेवाओं की महत्ता का उल्लेख करते प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदन निलेकणि ने कहा "आधार धारकों के लिए आधार पहचान मंच के इस्तेमाल द्वारा विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर पाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। इससे विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियाँ (सरकारी या गैर–सरकारी) एक तीव्र, सुरक्षित, किफायती और कागज रहित प्रणाली का प्रयोग करते हुए लाभार्थी/ग्राहक की पहचान कर सकती हैं।"

आज शुभारम्भ की गई तीन नवीन सेवाओं का सार इस प्रकार है :

1. **आँखों की पुतलियों द्वारा आधार सत्यापन** : एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निवासी की आँखों की पुतलियों की छवि एवं आधार संख्यांक को यू आई डी ए आई की केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार (सी आई डी आर) में सत्यापन के लिए भेजा जाता है। सी आई डी आर सत्यापित करता है कि क्या भेजी गई आँख की पुतली की छवि सी आई डी आर में उपलब्ध पंजीकरण के दौरान एकत्र की गई आँख की पुतली की छवि से मेल खाती है और उसका जवाब "हाँ/नहीं" में देती है।

   निवासियों का आँख की पुतली द्वारा आधार सत्यापन एक अत्याधुनिक सेवा है जो एक आधार धारक को आँख की पुतली की छवि का प्रयोग कर उसकी पहचान करा सकता है। इस सेवा को वे सभी पा सकते हैं जिनके पास आधार संख्यांक हैं, जिनमें वृद्ध, नेत्रहीन और मोतियाबिंद की सर्जरी वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। भारत विश्व में पहला ऐसा देश है जो वर्तमान में लगभग 35 करोड़ आधार धारक निवासियों को सार्वजनिक तौर पर आँख की पुतली द्वारा पहचान के सत्यापन का मंच प्रदान कर रहा है। यह सेवा प्रदान करने की दिशा में वास्तव में एक

आश्चर्यजनक प्रौद्योगिकी का विकास है। यू आई डी ए आई ने आँख की पुतली द्वारा आधार सत्यापन के पुष्टीकरण प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला है कि 99% से अधिक निवासियों की पहचान विश्वसनीयता के साथ सत्यापित हो सकती है।

2. **वन टाइम पिन (ओ टी पी) द्वारा आधार सत्यापन** : वन टाइम पिन सेवा से उन सभी निवासियों का आधार समर्थित सत्यापन हो सकता है जिन्होंने पंजीकरण या इसके बाद अपडेशन के समय एक मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराया था। आधार वन टाइम पिन से निवासी अपने मोबाइल फोन का प्रयोग करते हुए अपनी पहचान का कहीं भी एवं कभी भी स्वयं सेवा प्रणाली से बिना बायोमेट्रिक सत्यापन उपकरण के प्रयोग (जिसे सहायक सेवा की आवश्यकता होती है) से अपनी पहचान का सत्यापन कर सकेंगे।

   निवासी के मोबाइल का प्रयोग करते हुए वन टाइम पिन द्वारा सत्यापन दो–चरण की प्रक्रिया है। पहले चरण में आधार संख्या के प्रति वन टाइम पिन के लिए अनुरोध यू आई डी ए आई के केन्द्रीय पहचान आंकड़ा निक्षेपागार (सी आई डी आर) को भेजना होता है। प्रत्युत्तर में सी आई डी आर निवासी के मोबाइल/ई–मेल पर एक नया औचक वन टाइम पिन भेजता है। दूसरे चरण में आधार संख्यांक के साथ वन टाइम पिन सी आई डी आर को सत्यापन के लिए भेजा जाता है। सी आई डी आर सत्यापित करता है कि क्या प्रस्तुत किया गया वन टाइम पिन सी आई डी आर में उपलब्ध वन टाइम पिन से मेल खाता है और इसका जबाव "हाँ/नहीं" में देता है।

   आधार सत्यापन की सेवाएं लेने वाली प्रयोक्ता एजेंसियां वन टाइम पिन सुविधा का प्रयोग सत्यापन के एकल घटक के रूप में कर सकती है अथवा बायोमेट्रिक डेटा के साथ दोहरे घटक के रूप में कर सकती है।

3. **इ–के वाइ सी :** यू आई डी ए आई द्वारा दी गई इ–के वाइ सी सेवा से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहचान और पते के प्रमाण की इलेक्ट्रॉनिक प्रति सेवा प्रदाता को देने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यह किसी भी सार्वजनिक मंच पर अपने प्रकार की पहली सेवा है। जहाँ एक ओर यह सेवा के वाइ सी को तत्काल, पूर्णतया सुरक्षित एवं कागज रहित बनाती है, वहीं दूसरी ओर यह डेटा की निजता को भी उन्नत करती है। यह कारोबारी दक्षता बढ़ाती है और सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाओं के द्वार खोलती है।

   निवासी की पहचान और पता सत्यापित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा इ–के वाइ सी सेवा लागू की जा सकती है। केवल जनसांख्यिकीय सूचना (नाम, पता, जन्म–तिथि, जेंडर, फोटोग्राफ और मोबाइल संख्या) जिन्हें आधार पंजीकरण के दौरान एकत्र किया जाता है, को आधार संख्यांक धारक के अनुरोध पर और/या उसकी सहमति से सेवा प्रदाता को साझा किया जायेगा।

4. **स्थायी पंजीकरण केन्द्र (आधार केन्द्र) :** जो निवासी पूर्व में पंजीयकों द्वारा आयोजित शिविरों के दौरान पंजीकरण नही करवा पाए वो स्थायी पंजीकरण केन्द्रों में जाकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। ये केन्द्र आधार डेटा अपडेट केन्द्र के रूप में भी कार्य करेंगे, जहाँ आधार संबंधित जनसांख्यिकीय एवं बायोमेट्रिक डेटा अपडेट किया जा सकेगा।

   आधार केन्द्र सामान्य सेवा केन्द्रों (कॉमन सर्विस सेंटर), ब्लॉक/मंडल/तहसील/निगम वार्ड कार्यालय में सरकारी भवनों में या पंजीयक के आधिकारिक भवन में या ऐसे भवनों में जिसे पंजीयकों द्वारा स्पष्टतौर पर अनुमोदित किया जा सकता है, में स्थित होंगे। निवासी इन केन्द्रों पर अपने आधार जारी होने की स्थिति की सूचना मांग सकते हैं या इ–आधार भी मुद्रित करवा सकते हैं।

   पंजीयक यदि चाहे तो वह इ–आधार पत्र मुद्रित करने के लिए अधिकतम 10/– रूपये और आंकड़े अपडेट करने के अनुरोध के लिए अधिकतम 15/– रूपये तक के सुविधा शुल्क के भुगतान की मांग कर सकता है।

   आधार समर्थित सेवा प्रदायगी वर्तमान में कई सरकारी स्कीमों के साथ जुड़ी हुई है और भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा मजदूरी भुगतान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा लाभों का भुगतान जैसे वृद्धावस्था पेंशन भुगतान, एल पी जी सब्सिडी आदि के वितरण से भी बड़े पैमाने पर जोड़ी जायेगी।

   वर्तमान में आधार संख्यांक के लिए 40 करोड़ से अधिक निवासी पंजीकृत किए जा चुके हैं जबकि लगभग 35 करोड़ आधार संख्यांक जारी किए जा चुके हैं।

* * * * * *